सत्यमेव जयते
Web Copy - Non official

# न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी(राजस्व), संगरिया

## पीठासीन अधिकारी :- रमेश देव (आर.ए.एस.)

## प्रकरण सं. 156/2023

## वाद अ. धारा 88 आर.टी.ए.

गौरीशंकर पुत्र श्री धर्मपाल जाति जाट निवासी लीलांवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)

– वादी

**बनाम्**

1. धर्मपाल पुत्र स्व. श्री लक्ष्मणराम जाति जाट निवासी लीलांवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
2. राजबाला पत्नी स्व. श्री बृजलाल जाति जाट निवासी लीलांवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
3. प्रमोद पुत्र स्व. श्री बृजलाल जाति जाट निवासी लीलांवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
4. उरमा पुत्री स्व. श्री लक्ष्मणराम जाति जाट निवासी लीलांवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
5. कृष्णा पुत्री स्व. श्री लक्ष्मणराम जाति जाट निवासी लीलांवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
6. सुमित्रा पुत्री स्व. श्री लक्ष्मणराम जाति जाट निवासी लीलांवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
7. भावना पुत्री स्व. श्री बृजलाल जाति जाट निवासी लीलांवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
8. पूजा पुत्री स्व. श्री बृजलाल जाति जाट निवासी लीलांवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
9. प्रियंका पुत्री स्व. श्री बृजलाल जाति जाट निवासी लीलांवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
10. मन्जू पुत्री श्री धर्मपाल जाति जाट निवासी लीलांवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
11. पूनम पुत्री श्री धर्मपाल जाति जाट निवासी लीलांवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
12. तहसीलदार(राजस्व) संगरिया।

– प्रतिवादीगण

30/6

प्रशासन गांवों के संग अभियान 2023
शिविर प्रभारी (SDO)
शिविर स्थल.........

लगातार--2

उपस्थिति :-

वादी की ओर से :- श्री कुलदीप मुण्ड, एडवोकेट

प्रतिवादी की ओर से :- श्री महावीर बेरड़, एडवोकेट

निर्णय दिनांक :-

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

वादी गोरीशंकर ने प्रतिवादीगण धर्मपाल वगैरा के विरूद्ध यह राजस्व वाद बाबत् घोषणा का इस न्यायालय में पेश किया कि प्रतिवादी सं. 1 वादी का पिता, प्रतिवादी सं. 2 वादी की चाची, प्रतिवादी सं. 3, 7 ता 19 वादी के चचेरे भाई-बहिन, प्रतिवादी सं. 4 ता 6 वादी की बुआ एवं प्रतिवादी सं. 10 व 11 वादी की बहिने है जो कि एक ही संयुक्त परिवार के सदस्य है। तहसील संगरिया के चक 3 एल.एल.डब्ल्यु. के खाता सं. 74/5 जमाबन्दी सम्वत् 2072-75 में मृतक लक्ष्मणराम पुत्र श्री जगमालराम के नाम से 3.036 है. कृषि भूमि, इसी चक 3 एल.एल.डब्ल्यु. के खाता सं. 43/32 जमाबन्दी सम्वत् 2072-75 में प्रतिवादी सं. 1, 4, 5 व 6 के स्वयं के नाम से एवं प्रतिवादी सं. 2 के पति एवं प्रतिवादी सं. 3, 8 ता 11 के पिता स्व. श्री बृजलाल पुत्र श्री लक्ष्मणराम के नाम से 4.554 है. कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। उक्त चक के खातों की जमाबन्दीयों की प्रमाणित प्रतियां एवं स्व. श्री लक्ष्मणराम एवं स्व. श्री बृजलाल के मृत्यु प्रमाण पत्र की चित्रप्रति सलंग्न वाद पत्र है। यह कि यह कि वाद पत्र की चरण सं. 3 में वर्णित कृषि भूमि में जो कि वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 11 की संयुक्त परिवार की संयुक्त आराजी है जिसमें वादी का जन्म से हित एवं स्वत्व (By birth Right) निहित है परन्तु उक्त समस्त कृषि भूमि बंटवारानुसार वादी के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज नही होने के कारण तथा प्रतिवादी सं. 1 ता 11 के अन्य लोगों के प्रभाव में होने व उक्त भूमि की आय का अपने निजी व्यसनों पर खर्च करने के कारण वादी व प्रतिवादी सं. 1 ता 11 के मध्य विवाद हो गया व आपस में कटुता पैदा हो गई इस पर रिश्तेदारों आदि ने जरिये पंचायत वादी व प्रतिवादी सं. 1 ता 11 के मध्य राजीनामा व बंटवारा करवा दिया जिसमें प्रतिवादी सं. 4 ता 11 ने उक्त कृषि भूमि में अपने हक व हिस्सा का परित्याग मौखिक रूप से वादी एवं प्रतिवादी सं. 2 व 3 के पक्ष में बंटवारानुसार कर दिया तथा प्रतिवादी सं. 1 ने तहसील हनुमानगढ़ के चक 44 एन.जी.सी. में प्राप्त कर ली है। इसलिये प्रतिवादी सं. 1, 4 ता 11 का उक्त कृषि भूमि में कोई हित व स्वत्व निहित नही रहा हैं। वादी एवं प्रतिवादी सं. 2 व 3 को बंटवारा में प्राप्त कृषि भूमि का वर्णन निम्न प्रकार से है:-

प्रशासन गांवों के संग अभियान 2023
शिविर प्रभारी (SDO)
शिविर स्थल...

लगातार--3

(क) **वादी गौरीशंकर पुत्र श्री धर्मपाल जाति जाट निवासी लीलांवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक व हिस्सा की कृषि भूमि :-**

तहसील संगरिया के चक 3 एल.एल.डब्ल्यु. के खाता सं. 74/5 जमाबन्दी सम्वत् 2072-75 में 1.518 है. कृषि भूमि

तहसील संगरिया के चक 3 एल.एल.डब्ल्यु. के खाता सं. 43/32 जमाबन्दी सम्वत् 2072-75 में 2.277 है. कृषि भूमि

(ख) **प्रतिवादीया सं. 2 राजबाला पत्नी स्व. श्री बृजलाल जाति जाट निवासी लीलांवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक व हिस्सा की कृषि भूमि :-**

तहसील संगरिया के चक 3 एल.एल.डब्ल्यु. के खाता सं. 43/32 जमाबन्दी सम्वत् 2072-75 में 2.277 है. कृषि भूमि

(ग) **प्रतिवादी सं. 3 प्रमोद पुत्र स्व. श्री बृजलाल जाति जाट निवासी लीलांवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक व हिस्सा की कृषि भूमि :-**

तहसील संगरिया के चक 3 एल.एल.डब्ल्यु. के खाता सं. 74/5 जमाबन्दी सम्वत् 2072-75 में 1.518 है. कृषि भूमि

यह कि वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 11 को विरासतन तौर पर प्राप्त समस्त कृषि भूमि जिसका वर्णन वाद पत्र की चरण सं. 3 में वर्णित किया गया है। वाद पत्र की चरण सं. 4 के अनुसार वादी खातेदार काश्तकार होने की घोषणा करवाने का अधिकारी एवं दावेदार है। यह कि प्रतिवादी सं. 1 ता 11 को प्रश्नगत् कृषि भूमि विरासतन तौर पर प्राप्त हुई है। वादी ने प्रतिवादी सं. 1 ता 11 को बंटवारानुसार कृषि भूमि दर्ज करवाने हेतु कहा तो कुछ दिन तक तो प्रतिवादीगण टाल मटोल करते रहे आखिर गत् सप्ताह ऐसा करने से कतई इन्कार हो गये। यही वाद कारण है।

उक्त तथ्यों के आधार पर वाद पत्र पेश होने पर सीगेदार की रिपोर्ट के बाद दावा दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी सं. 1 ता 11 द्वारा अपने अधिवक्ता के माध्यम से सहमति के जवाब दावे प्रस्तुत किये गये, जो शामिल मिसल किये गये। प्रतिवादी सं. 12 का जवाब स्टेट पेश हुआ। जो शामिल मिसल किया गया। वाद पत्र के समर्थन में वादी के द्वारा तहसील संगरिया के चक 3 एल.एल. डब्ल्यु. के खाता सं. 74/5 जमाबन्दी सम्वत् 2072-75 एवं चक 3 एल.एल. डब्ल्यु. के खाता सं. 43/32 जमाबन्दी सम्वत् 2072-75 की प्रतियां पेश की गई जो प्रदर्श-1 ता 8 है। साक्ष्य वादी में वादी का शपथ पत्र अ. धारा 18

प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021
शिविर प्रभारी (SDO)
शिविर स्थल दीनगढ़

लगातार--4

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

नियम 4 व्य.प्र.सं. पेश किया जो शामिल मिसल किया गया। साक्ष्य प्रतिवादीगण बन्द की गई।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। बहस में वादी के अभिभाषक ने कथन किया कि वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 11 संयुक्त परिवार के सदस्य है तथा आपस में कोई विरोध नही है। प्रतिवादी सं. 1 ता 11 द्वारा अपने अधिवक्ता के माध्यम से सहमति के जवाब दावे प्रस्तुत किये गये। वाद पत्र में घोषणा का अनुतोष चाहा गया है। बहस में वकील वादी एवं वकील प्रतिवादी सं. 1 ता 11 ने सहमति के जवाब दावे अनुसार वाद पत्र डिक्री किये जाने पर सहमति दी। वकील वादी ने वाद डिक्री किये जाने का निवेदन किया। जिसका वकील प्रतिवादीगण ने कोई विरोध नही किया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

वाद पत्र में वर्णित आराजी तहसील संगरिया के चक 3 एल.एल.डब्ल्यु. के खाता सं. 74/5 जमाबन्दी सम्वत् 2072-75 में मृतक लक्ष्मणराम पुत्र श्री जगमालराम के नाम से 3.036 है. कृषि भूमि, इसी चक 3 एल.एल.डब्ल्यु. के खाता सं. 43/32 जमाबन्दी सम्वत् 2072-75 में प्रतिवादी सं. 1, 4, 5 व 6 के स्वयं के नाम से एवं प्रतिवादी सं. 2 के पति एवं प्रतिवादी सं. 3, 8 ता 11 के पिता स्व. श्री बृजलाल पुत्र श्री लक्ष्मणराम के नाम से 4.554 है. कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। प्रतिवादी सं. 1 ता 11 द्वारा सहमति के जवाब दावे प्रस्तुत करने के कारण तनकीयात कायम किये जाने की आवश्यकता नही है। वाद पत्र में वर्णित कृषि भूमि संयुक्त परिवार की संयुक्त कृषि भूमि है। वादी व प्रतिवादी सं. 1 ता 11 एक ही परिवार के सदस्य है। वाद पत्र का कोई विरोध हमारे समक्ष नही आया है। वाद पत्र मुताबिक सहमति के जवाब दावे अनुसार डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता है।

## -:: क्रियात्मक आदेश ::-

अतः वाद वादी मुताबिक वादी एवं प्रतिवादी सं. 1ता 11 द्वारा प्रस्तुत सहमति के जवाब दावे अनुसार डिक्री किया जाता है कि मुताबिक बंटवारा तहसील संगरिया के चक 3 एल.एल.डब्ल्यु. के खाता सं. 74/5 जमाबन्दी सम्वत् 2072-75 में मृतक लक्ष्मणराम पुत्र श्री जगमालराम के नाम से 3.036 है. कृषि भूमि में से वादी एवं प्रतिवादी सं. 3 को ब.हि.ब. के खातेदार काश्तकार घोषित कर मृतक लक्ष्मणराम पुत्र श्री जगमालराम का नाम कलमजन किया जावे तथा इसी प्रकार इसी चक 3 एल.एल.डब्ल्यु. के खाता सं. 43/32 जमाबन्दी सम्वत् 2072-75 में प्रतिवादी सं. 1, 4, 5 व 6 के स्वयं के नाम से एवं प्रतिवादी सं. 2 के पति एवं प्रतिवादी सं. 3, 8 ता 11 के पिता स्व.

लगातार--5

प्रशासन गांवों के संग अभियान 2023
शिविर प्रभारी (SDO)
शिविर स्थल दीनगढ़

श्री बृजलाल पुत्र श्री लक्ष्मणराम के नाम से 4.554 है. कृषि भूमि के वादी एवं प्रतिवादीया सं. 2 को ब.हि.ब. के खातेदार काश्तकार घोषित कर प्रतिवादी सं. 1, 4 ता 6 एवं मृतक स्व. श्री बृजलाल का नाम कलमजन किया जावे।

नोटः- यदि डिक्रीत वादी/प्रतिवादीगण हक आराजी बैक रहन नही है तो अमल दरामद मुताबिक डिक्री किया जावे।

इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावें। पर्चा डिक्री जारी हो। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील नम्बर से कम किया दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 3/6/23 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

3/6/2023

(रमेश देव)

सहायक कलेक्टर एवं

प्रशासन गांवों के संग अभियान 2023

शिविर प्रभारी (SDO)

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व),

शिविर स्थल

संगरिया

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

# डिक्री एवं मुकदमें इब्तदाई

(ओ.20 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

**न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, संगरिया**

**पीठासीन अधिकारी:- रमेश देव(आर.ए.एस.)**

**प्रकरण सं. 156/2023**

सत्यमेव जयते
Web Copy- Not Official

गौरीशंकर पुत्र श्री धर्मपाल जाति जाट निवासी लीलांवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)

- वादी

बनाम्

1. धर्मपाल पुत्र स्व. श्री लक्ष्मणराम जाति जाट निवासी लीलांवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
2. राजबाला पत्नी स्व. श्री बृजलाल जाति जाट निवासी लीलांवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
3. प्रमोद पुत्र स्व. श्री बृजलाल जाति जाट निवासी लीलांवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
4. उरमा पुत्री स्व. श्री लक्ष्मणराम जाति जाट निवासी लीलांवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
5. कृष्णा पुत्री स्व. श्री लक्ष्मणराम जाति जाट निवासी लीलांवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
6. सुमित्रा पुत्री स्व. श्री लक्ष्मणराम जाति जाट निवासी लीलांवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
7. भावना पुत्री स्व. श्री बृजलाल जाति जाट निवासी लीलांवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
8. पूजा पुत्री स्व. श्री बृजलाल जाति जाट निवासी लीलांवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
9. प्रियंका पुत्री स्व. श्री बृजलाल जाति जाट निवासी लीलांवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
10. मन्जू पुत्री श्री धर्मपाल जाति जाट निवासी लीलांवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
11. पूनम पुत्री श्री धर्मपाल जाति जाट निवासी लीलांवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
12. तहसीलदार(राजस्व) संगरिया।

- प्रतिवादीगण

प्रशासन गांवों के संग अभियान 2023
शिविर प्रभारी (SDO)
शिविर स्थल.....

लगातार--2

# वाद पत्र अ. धारा 88 आर.टी.ए.

दिनांक :- 3/6/23

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ **रमेश देव**(आर.ए.एस.) के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रोबरू हमारे बहाजरी **श्री कुलदीप मुण्ड** वकील वादी मिन जामिन मुदई **श्री महावीर बेरड़** वकील प्रतिवादी सं. 1 ता 11 मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुकम दिया जाता हैं व यह डिक्री दी जाती है कि मुताबिक बंटवारा तहसील संगरिया के चक 3 एल.एल.डब्ल्यु. के खाता सं. 74/5 जमाबन्दी सम्वत् 2072-75 में मृतक लक्ष्मणराम पुत्र श्री जगमालराम के नाम से 3.036 है. कृषि भूमि में से वादी एवं प्रतिवादी सं. 3 को ब.हि.ब. के खातेदार काश्तकार घोषित कर मृतक लक्ष्मणराम पुत्र श्री जगमालराम का नाम कलमजन किया जावे तथा इसी प्रकार इसी चक 3 एल.एल.डब्ल्यु. के खाता सं. 43/32 जमाबन्दी सम्वत् 2072-75 में प्रतिवादी सं. 1, 4, 5 व 6 के स्वयं के नाम से एवं प्रतिवादी सं. 2 के पति एवं प्रतिवादी सं. 3, 8 ता 11 के पिता स्व. श्री बृजलाल पुत्र श्री लक्ष्मणराम के नाम से 4.554 है. कृषि भूमि के वादी एवं प्रतिवादीया सं. 2 को ब.हि.ब. के खातेदार काश्तकार घोषित कर प्रतिवादी सं. 1, 4 ता 6 एवं मृतक स्व. श्री बृजलाल का नाम कलमजन किया जावे।

नोट :- यदि डिक्रीत वादी/प्रतिवादी हक आराजी बैंक रहन नही है तो अमल दरामद मुताबिक डिक्री किया जावे।

निज ......X...... निल ......X...... मुब्लिक ......X......निल ......X...... बाबत् ......X...... निल......X...... खर्चा मुकदमें के मयशुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक ......X......को अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तख्त एवं मोहर अदालत से आज दिनांक 3/6/23... को जारी किया जाता है।

3/6/2023

(रमेश देव)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी(राजस्व),
संगरिया

प्रशासन गांवों के संग अभियान 2023
शिविर प्रभारी (SDO)
शिविर स्थल ... [illegible]

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official